

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2528  
गुरुवार, 10 अगस्त 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

तेजी से बढ़ती युवा बेरोजगारी का विश्लेषण

2528. श्रीमती मौसम नूर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 से युवा बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि का विश्लेषण किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो युवा बेरोजगारी में वृद्धि में योगदान करने वाले कारक क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने बेरोजगार युवाओं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ से निपटने के लिए कोई विशिष्ट नीति बनाई है;
- (घ) यदि हाँ, तो ऐसी पहलों और युवा बेरोजगारी को कम करने पर पड़ने वाले प्रभावों का अपेक्षित ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर  
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	बेरोजगारी दर (% में)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों से देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में, विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों को सृजित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 02 जुलाई 2023 तक, इस योजना के तहत 60.42 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 07 जुलाई, 2023 तक इस योजना के तहत 42.29 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

'मेक इन इंडिया' पहल, दिनांक 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, ढांचागत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार में एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया में बढ़ावा दिया है। 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

\*\*\*\*\*